किसान भाइयों एवं बहनों के लिए आवश्यक सूचना

कृषि इनपुट अनुदान-2025 के तहत आवेदन का अवसर

माह अक्टूबर 2025 में हुई अतिवृष्टि से आई बाढ़ एवं मोन्था तूफान के कारण प्रतिवेदित 12 जिलों के 39 प्रखंडों के 397 पंचायतों में क्षतिग्रस्त फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ किसानों के बैंक खाते में

- इन पंचायतों के वैसे किसान जिनकी फसल का नुकसान 33% से अधिक हुआ है, वे ऑन-लाईन आवेदन कर कृषि इनपुट योजना का लाभ ले सकते हैं।
- वर्षापात/ बाढ़/आँधी-तूफान के कारण हुई क्षति के लिए निम्नांकित दर से कृषि इनपुट अनुदान देय होगा:-
  - वर्षाश्रित(असिंचित) फसल क्षेत्र के लिए 8500 रूपये प्रति हेक्टेयर।
  - सिंचित क्षेत्र के लिए 17,000 रूपये प्रति हेक्टेयर।
  - शाश्वत/बहुवर्षीय फसल(गन्ना सहित) के लिए 22,500 रूपये प्रति हेक्टेयर।
  - यह अनुदान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए ही देय होगा, किसान को इस योजना के अन्तर्गत असिंचित क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1000 रूपये, सिंचित क्षेत्र के लिए न्यूनतम 2000 रूपये एवं शाश्वत/बहुवर्षीय फसल(गन्ना सहित) के लिए न्यूनतम 2500 रूपये अनुदान देय है।
- कृषि इनपुट अनुदान सभी पंजीकृत रैयत एवं गैर रैयत किसान को देय है। अक्टूबर 2025 में हुई अतिवृष्टि से आई बाढ़ एवं मोन्था तूफान से प्रभावित जिले, प्रखंड एवं पंचायत के रैयत एवं गैर-रैयत किसान भाई/बहन इस योजना का लाभ लेने हेतु ऑन-लाईन आवेदन कर सकते हैं।
- यह योजना सिर्फ किसान/किसान परिवार के लिए मान्य है। किसान परिवार का अर्थ हैः- पति+पत्नी+अव्यस्क बच्चे। आवेदन के समय किसान को अपने परिवार का विवरण आधार सत्यापन के साथ देना अनिवार्य होगा। परिवार का विवरण देने में अनियमितता पाये जाने पर आवेदन को रद्द कर दिया जायेगा।
- इस योजना के अन्तर्गत रैयत किसान/किसान परिवार के लिए अद्यतन अथवा वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 का LPC /लगान रसीद एवं गैर-रैयत किसान परिवार के लिए स्वघोषित प्रमाण पत्र, जो वार्ड सदस्य एवं कृषि समन्वयक के द्वारा प्रमाणित हो, मान्य होगा। स्वघोषणा प्रमाण पत्र का प्रारूप डी० बी० टी० पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।
- कृषि विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html पर दिये गये लिंक DBT in Agriculture पर या https:dbtagriculture.bihar.gov.in पर आवेदन करने के लिए 13 अंकों की पंजीकरण संख्या का उपयोग कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रखंडों एवं पंचायतों की सूची डी० बी० टी० पोर्टल पर उपलब्ध है।
- 397 प्रतिवेदित पंचायतों वाले 39 प्रभावित प्रखंडों से संबंधित 12 जिलों की सूची:-

बेगूसराय, पूर्वी चम्पारण, कैमूर, मधुबनी, किशनगंज, गया जी, भोजपुर, मधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर एवं सुपौल

नोट: अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेन्टर के टॉल फ्री नं० 18001801551 पर या संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि: 02 दिसम्बर, 2025